न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 13/2025

तारीख रजू :– 05.05.2025

पीठासीन अधिकारी :– अमन चौधरी आर.ए.एस.

चांद मोहम्मद पुत्र कलुवा उर्फ नन्नू खां आयु 70 साल जाति मुसलमान निवासी बालघाट, तहसील बालघाट जिला करौली (राज0)

वादी

वनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम, तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0
2. कंचन } पिसरान लल्लू } जाति बैरवा निवासी बालघाट तहसील बालघाट, जिला करौली (राज0)
3. खिलाडी
4. जगराम
5. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट, तहसील बालघाट, जिला करौली

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् नाम दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपरिथत :– 1 श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट वादी

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांकः– 17.11.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 425/0.07, 432/0.06, 433/0.06, कुल किता 3 कुल रकवा 0.19 है0 स्थित ग्राम बालघाट है। जिसमें वादी 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं0 2 ता 4 के पिता लल्लू 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा वादी ने अपने 1/2 हिस्से को प्रतिवादी नं0 3 के यहां रहन रखा है। दौराने सेटिलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों द्वारा नवीन जमाबन्दी बनाते समय वादपत्र में वर्णित आराजीयात का हाल जमाबन्दी में वादी के पिता का बोलता नाम नन्नू खां दर्ज कर दिया, जबकि वादी के पिता का सही व रिकार्डेड नाम कलुवा है, जबकि वादी के समस्त दस्तावेजी रिकार्ड जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य जमाबन्दी में चांद मोहम्मद पुत्र कलुवा नाम दर्ज चला आ रहा है। इसलिये हाल जमाबन्दी के खाता संख्या 170 में वादी के पिता का नाम नन्नू खां के स्थान पर कलुवा दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 28.04.2025 को वादी अपने खाता संख्या 170 में दर्ज नाम चांद मोहम्मद पुत्र नन्नू खां के स्थान पर चांद मोहम्मद पुत्र कलुवा नाम दुरूस्त करवाने बावत् प्रतिवादी नं0 1 तहसीलदार से मिला तो प्रतिवादी नं0 1 द्वारा नाम दुरूस्ती का सक्षम न्यायालय में दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करने की सलाह देने के कारण यह दावा बावत् नाम दुरूस्ती वखिलाफ प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ। दावा वादी वखिलाफ प्रतिवादीगण बावत् इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर इस आशय से डिक्री किया जावे कि ग्राम बालघाट में स्थित नवीन खाता संख्या 170 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 425/0.07, 432/0.06, 433/0.06 कुल किता 3 कुल रकवा 0.19 है0 में दर्ज वादी के नाम चांद मोहम्मद पुत्र नन्नू खां के स्थान पर चांद मोहम्मद पुत्र कलुवा दर्ज किया जावे और इसी अनुरूप समस्त राजस्व रिकार्ड एवं प्रतिवादी नं0 3 के ऋण खाते में भी दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादी नं0 2 ता 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी नं0 1 सरकार पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 425, 432, 433 किता 3 कुल रकवा 0.19 है0 में चांद मोहम्मद पुत्र नन्नू खांक हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान निवासी बालघाट दर्ज है। जो कि मुताबिक संलग्न दस्तावेज रजिस्टर्ड विकय पत्र में वादी चांद मोहम्मद के पिता नन्नू खां जाति मुसलमान निवासी बालघाट है। जो हाल जमाबन्दी के खाता संख्या 170 में चांद मोहम्मद पुत्र नन्नू खां हि0 1/2 साकिन ग्राम खातेदार है। जो विकय पत्र के अनुसार सही है। ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर बताया कि वादी चांद मोहम्मद के पिता का सही नाम कलुवा होना बताया गया है। ग्राम में कलुवा को नन्नू के नाम से पुकारा जाता है। ग्राम में कलुवा व नन्नू खां नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। ग्रामवासियों ने नन्नू खांक के स्थान पर शुद्ध नाम कलुवा होना बताया गया है।

मैने वकील वादी एवं सरकार पैरोकार की बहस सुनी अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के पिता का कलुवा है लेकिन रेवेन्यू रिकोर्ड नन्नू खांक हो गया है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजो मे मेरे पिता का नाम कलुवा है मैने दस्तावेजो मे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि के दस्तावेज पेश किये पैरोकार तहसीलदार द्वारा अपने जबाब के कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी में वादी के पिता का नाम नन्नू खां है जो विकय पत्र के नामान्तकरण के द्वारा आयी है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमावंदी ग्राम बालघाट खाता संख्या 170 में वर्णित खसरा नम्बर 425/0.07, 432/0.06, 433/0.06 कुल किता 3 कुल रकवा 0.19 है0 तहसील बालघाट में वादी के पिता नाम नन्नू खां दर्ज है। विक्रय पत्र के नामान्तकरण से कलुवा के स्थान पर नन्नू खां दर्ज हो गया। उक्त दस्तावेजों तथा तहसीलदार बालघाट की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम बालघाट के खाता संख्या 170 में वर्णित खसरा नम्बर 425/0.07, 432/0.06, 433/0.06 कुल किता 3 कुल रकवा 0.19 है0 तहसील बालघाट में वादी का नाम चांद मोहम्मद पुत्र नन्नू खां को हजफ कर चांद मोहम्मद पुत्र कलुवा अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी का जमावंदी में दर्ज हिस्सा व बैंक रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार बालघाट उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Scanned with OKEN Scanner